2025 का विधेयक संख्यांक 140

[दि मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 5, धारा 7 से धारा 13 और धारा 15 ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए।

धारा 2 का संशोधन।

2. मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,— 2017 का मणिपुर अधिनियम 3

(क) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे तथा यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे; 2017 का 13

(ख) खंड (69) में,—

(i) उपखंड (ग) में, "नगरपालिका या स्थानीय निधि का प्रबंध;" शब्दों के स्थान पर, "स्थानीय निधि या नगरपालिका निधि का प्रबंध" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित किसी स्थानीय स्वायत्त शासन के प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, को उद्ग्रहीत, संग्रहीत तथा विनियोजित करने की शक्तियां निहित हों ;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी मेट्रोपोलिटन क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित किसी स्थानीय स्वायत्त शासन के प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, को उद्ग्रहीत, संग्रहीत तथा विनियोजित करने की शक्तियां निहित हों ;';

(ग) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्न" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्न अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्न भी है, जो कि विशिष्ट, सुरक्षित तथा गैर-निराकरणीय है ;'।

धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (3) या उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "या उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में,— धारा 13 का संशोधन।

(क) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (3) या उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "या उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) के खंड (घ) में,— धारा 17 का संशोधन।

(क) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रखे जाएंगे और यह 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी भी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा सदैव "संयंत्र और मशीनरी" के निर्देश के रूप में ही समझा जाएगा।'।

6. मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,— धारा 20 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे ;

2017 का 13

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

2017 का 13

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 34 का संशोधन।

"परंतु कि प्रदायकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(i) ऐसे जमापत्र के कारण प्राप्त हुआ इनपुट कर प्रत्यय, यदि उपभोग किया गया, प्राप्तिकर्ता द्वारा वापस नहीं किया गया है, जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है ; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसे प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो गया है।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 में,— धारा 38 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "स्वजनित विवरण" शब्दों के स्थान पर "एक विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "के अधीन स्वजनित विवरण" शब्दों के स्थान पर "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ख) में, "प्राप्त कर्ता द्वारा" शब्दों के स्थान पश्चात् "सम्मिलित" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iv) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे जैसा कि विहित किया जाए ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 107 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु शास्ति की, जिसमें कर की कोई मांग अंतर्वलित नहीं है, मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर रकम संदत्त नहीं की जाती, आदेश के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी ।"।

धारा 112 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 112 की, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु शास्ति की, जिसमें कर की कोई मांग अंतर्वलित नहीं है, मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर रकम संदत्त नहीं की जाती, ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी ।"।

नई 122ख का अंत:स्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ट्रैक और ट्रेस तंत्र का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

"122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत या एक लाख रुपए की रकम, जो भी अधिक हो, शास्ति संदेय करने का दायी होगा ।"।

नई धारा 148क का अंत:स्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय वस्तुओं के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र ।

"148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल का कब्जा रखते हैं या

व्यौहार करते है,

जिस पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,—

(क) विशिष्ट पहचान चिह्न लगाने और उसमें अंतर्विष्ट सूचना के इलैक्ट्रानिक भंडारण और उस तक पहुंच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाए, एक प्रणाली उपलब्ध करा सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्न विहित कर सकेगी जिसमें उसमें अभिलिखित की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति—

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी जानकारी युक्त एक विशिष्ट पहचान चिह्न ऐसी रीति में लगाएगा जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे प्ररुप और रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखे जाएंगे;

(ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान पर प्रतिस्थापित मशीनरी के ब्यौरे जिसमें पहचान, क्षमता, संचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे और सूचना सम्मिलित है, समय के भीतर और ऐसे प्ररुप और रीति में, जैसा विहित किया जाए, प्रस्तुत किए जा सकेंगे;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी रकम, जैसा विहित की जाए, का संदाय किया जा सकेगा ।"।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, 1 जुलाई, 2017 से,—

(i) पैरा 8 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार भांडागारण जोन में भंडारण किया गया माल, निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए स्वीकृति से पहले किसी भी व्यक्ति को माल की पूर्ति की जा सकेगी ;";

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर, "खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 3**—खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भांडागारण जोन" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में क्रमश: उनके लिए हैं ।'।

2005 का 28

संग्रहीत कर का प्रतिदाय नहीं होगा ।

15. ऐसे समस्त कर, जो संग्रहीत किए गए हैं किन्तु धारा 14 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती तो इस तरह संग्रहीत नहीं किए गए होते, का प्रतिदाय नहीं होगा ।

निरसन तथा व्यावृति ।

16. (1) मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 का निरसन किया जाता है । 2025 का अध्यादेश सं. 2

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या हुई समझी जाएगी । 5

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 , मणिपुर राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतराज्यिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधिनियमन के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों का वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 121 से धारा 134 के माध्यम से संशोधन किया गया था और वैसे ही संशोधन 56वीं माल और सेवा कर परिषद् के विनिश्चय के अनुसार, उक्त केंद्रीय अधिनियम में प्रतिकूलता से बचने के लिए मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में शीघ्रतम किए जाने अपेक्षित थे ।

3. चूंकि, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उक्त उद्घोषणा तारीख 13 फरवरी, 2025 से मणिपुर राज्य में प्रवृत्त थी तथा संसद् सत्र में नहीं थीं और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी, जिनके कारण केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुरूप मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को जारी रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, राष्ट्रपति ने मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश,2025, तारीख 7 अक्तूबर, 2025 को प्राख्यापित किया था ।

4. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025, संसद् के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और उक्त प्रयोजन के लिए मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद् में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 नवंबर, 2025

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए है । विधेयक को यदि अधिनियमित किया जाता है तो मणिपुर राज्य की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 8, मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) का संशोधन सरकार को नियमों द्वारा विवरण में अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराने का उपबंध करने हेतु सशक्त बनाने के लिए है।

2. विधेयक का खंड 13, मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 148क को अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय माल के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित है। उक्त धारा 148क की उपधारा (2) सरकार को नियमों द्वारा विशिष्ट पहचान चिह्न लगाने तथा सूचना के इलैक्ट्रॉनिक भंडारण तथा उसकी पहुंच हेतु समर्थ बनाने के लिए एक प्रणाली तथा व्यक्ति, जिसके माध्यम से ऐसी प्रणाली उपबंधित की जा सके, सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए है। यह सरकार को नियमों द्वारा माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्न, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित सूचना भी है, प्रदान करने हेतु और सशक्त बनाने के लिए है।

3. उक्त धारा 148क की उपधारा (3) सरकार को नियमों द्वारा, खंड (क) के अधीन अंतर्विष्ट की जाने वाली सूचना तथा माल और पैकेजों पर विशिष्ट पहचान चिह्न लगाने की रीति, खंड (ख) के अधीन सूचना और ब्यौरा देने के लिए तथा अभिलेखों या दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए प्ररूप और रीति तथा समय, खंड (ग) के अधीन समय जिसके भीतर तथा प्ररूप और रीति जिसमें अन्य ब्यौरे दिए जाएंगे तथा उक्त उपधारा के खंड (घ) के अधीन संदत्त रकम का, उपबंध करने हेतु सशक्त बनाने के लिए है ।

4. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं तथा विधेयक में ही उनका उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का मणिपुर अधिनियम 3) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(61) "इनपुट सेवा वितरक" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कार्यालय है जो धारा 25 में निर्दिष्ट अलग-अलग व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी सेवाओं के संबंध में चालान सहित इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर चालान प्राप्त करता है और धारा 20 में प्रदान की गई रीति से ऐसे चालान के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट वितरित करने के लिए उत्तरदायी है;

* * * * *

(69) स्थानीय प्राधिकरण से तात्पर्य है—

* * * * *

(ग) कोई नगरपालिका समिति, जिला परिषद, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकरण जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए वैध रूप से हकदार हो या उसे सौंपा गया हो;

* * * * *

अध्याय 4

आपूर्ति का समय और मूल्य

सामान की सप्लाई का समय।

12. (1) * * * *

(4) सप्लायर द्वारा वाउचर की सप्लाई के मामले में, सप्लाई का समय होगा—

(क) वाउचर जारी करने की तारीख, अगर उस समय सप्लाई पहचानी जा सकती है; या

(ख) बाकी सभी मामलों में, वाउचर के रिडेम्पशन की तारीख।

(5) जहां उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन आपूर्ति का समय अवधारित करना संभव नहीं है, वहां आपूर्ति का समय—

(क) ऐसे मामले में जहां आवधिक रिटर्न दाखिल किया जाना है, वह तारीख होगी जिस दिन ऐसा रिटर्न दाखिल किया जाना है, या

(ख) किसी अन्य मामले में, वह तारीख होगी जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है।

* * * * *

13. (1) * * * * सर्विसेज़ की सप्लाई का समय।

(4) आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का समय होगा—

(क) वाउचर जारी करने की तिथि, यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तिथि;

(5) जहाँ उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में बताए गए तरीके से सर्विसेज़ की सप्लाई का समय तय करना मुमकिन नहीं है, वहाँ सप्लाई का समय—

(क) ऐसे मामले में जहाँ पीरियोडिक रिटर्न फाइल किया जाना है, वह तारीख होगी जिस दिन ऐसा रिटर्न फाइल किया जाना है; या

(ख) किसी और मामले में, वह तारीख होगी जिस दिन टैक्स दिया जाता है।

* * * * *

17. (1) * * * * क्रेडिट का बंटवारा और ब्लॉक किए गए क्रेडिट।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

* * * * *

(घ) कराधीन व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति (संयंत्र या मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त वस्तुएं, सेवाएं या दोनों, जिसमें तब भी शामिल है जब ऐसी वस्तुएं, सेवाएं या दोनों का उपयोग कारोबार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है।

स्पष्टीकरण—खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "निर्माण" में उक्त अचल संपत्ति में पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत शामिल है;

* * * * *

20. (1) माल या सर्विस या दोनों के सप्लायर का कोई ऑफिस जो इनपुट सर्विस की रसीद के लिए टैक्स इनवॉइस लेता है, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत टैक्स देने वाली सर्विस के इनवॉइस शामिल हैं, धारा 25 में बताए गए अलग-अलग लोगों के लिए या उनकी ओर से, उसे धारा 24 के क्लॉज़ (viii) के तहत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्टर होना होगा और ऐसे इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट बांटेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा क्रेडिट बांटने का तरीका।

(2) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसे मिले इनवॉइस पर लगाए गए स्टेट टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स के क्रेडिट को बांटेगा, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत टैक्स लगने वाली सर्विस के संबंध में स्टेट टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स का क्रेडिट शामिल है, जिसका पेमेंट उसी स्टेट में रजिस्टर्ड किसी अलग व्यक्ति ने किया हो जो उक्त इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, ऐसे तरीके से, ऐसे समय के अंदर और ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन जैसा कि तय किया जा सकता है।

* * * * *

क्रेडिट और डेबिट नोट्स।

34. (1) * * * *

(2) कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति जो सामान या सर्विस या दोनों की सप्लाई के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, उसे उस महीने के रिटर्न में ऐसे क्रेडिट नोट की डिटेल्स बतानी होंगी, जिस महीने ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया है, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद सितंबर तक, जिसमें ऐसी सप्लाई की गई थी, या संबंधित सालाना रिटर्न फाइल करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, और टैक्स लायबिलिटी को बताए गए तरीके से एडजस्ट किया जाएगा:

परन्तु कि अगर ऐसी सप्लाई पर टैक्स और ब्याज का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल दिया गया है, तो सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कोई कमी नहीं की जाएगी।

* * * * *

इनवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स की जानकारी।

38. (1) धारा 37 के उपधारा (1) के तहत रजिस्टर्ड लोगों द्वारा दी गई आउटवर्ड सप्लाई और ऐसी दूसरी सप्लाई की डिटेल्स, जो बताई जा सकती हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स वाला एक ऑटो-जेनरेटेड स्टेटमेंट, ऐसी सप्लाई के पाने वालों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऐसे फॉर्म और तरीके से, ऐसे समय के अंदर, और ऐसी शर्तों और पाबंदियों के तहत उपलब्ध कराया जाएगा, जो बताई जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के तहत ऑटो-जेनरेटेड स्टेटमेंट में ये शामिल होंगे—

(क) इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जिनके लिए पाने वाले को इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है; और

(ख) सप्लाई की डिटेल्स जिनके लिए पाने वाला धारा 37 के उपधारा (1) के तहत दी गई सप्लाई की डिटेल्स की वजह से, पूरी तरह या थोड़ा सा क्रेडिट नहीं ले सकता,—

* * * * *

रिटर्न प्रस्तुत करना।

39. (1) हर रजिस्टर्ड व्यक्ति, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या नॉन-रेसिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रोविज़न के तहत टैक्स देने वाले व्यक्ति को छोड़कर, हर कैलेंडर महीने या उसके हिस्से के लिए, सामान या सर्विस या दोनों की इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, देने लायक टैक्स, चुकाए गए टैक्स और ऐसी दूसरी डिटेल्स का इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न, ऐसे फॉर्म और तरीके से, और ऐसे समय के अंदर देगा, जैसा बताया जा सकता है:

परन्तु कि सरकार, काउंसिल की सिफारिशों पर, रजिस्टर्ड व्यक्तियों के कुछ खास क्लास को नोटिफाई कर सकती है, जो हर क्वार्टर या उसके हिस्से के लिए, ऐसी शर्तों और पाबंदियों के अधीन, जैसा उसमें बताया जा सकता है, रिटर्न देंगे।

अध्याय 17

अपील और संशोधन

अपील अथॉरिटी में अपील।

107. (1) * * * *

(6) उपधारा (1) के तहत कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक

अपील करने वाले ने ये चीज़ें जमा नहीं कर दी हों—

(क) टैक्स, ब्याज, जुर्माना, फीस और पेनल्टी की रकम का पूरा हिस्सा, जो उस ऑर्डर से पैदा हुआ था, उसने जमा कर दिया हो; और

(ख) उस ऑर्डर से पैदा हुए विवाद में टैक्स की बची हुई रकम का दस परसेंट के बराबर रकम, जो ज़्यादा से ज़्यादा बीस करोड़ रुपये हो सकती है, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है:

परन्तु कि धारा 129 के उपधारा (3) के तहत किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपील करने वाले ने पेनल्टी के पच्चीस परसेंट के बराबर रकम जमा नहीं कर दी हो।

* * * * *

112. (1) * * * * अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील।

(8) उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक अपीलकर्ता ने निम्नलिखित का भुगतान नहीं कर दिया हो—

(क) आरोपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और दंड की राशि का ऐसा भाग, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो, पूर्ण रूप से, और

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न धारा 107 की उपधारा (6) के अंतर्गत भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम बीस करोड़ रुपए के अधीन, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

* * * * *

अनुसूची 3

[धारा 7 देखिए]

ऐसी गतिविधियाँ या लेन-देन जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा

* * * * *

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पहले किसी व्यक्ति को गोदाम में रखे माल की आपूर्ति;

* * * * *

स्पष्टीकरण 1—पैराग्राफ 2 के मकसद के लिए, "कोर्ट" शब्द में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2—पैराग्राफ 8 के मकसद के लिए, "वेयरहाउस में रखा सामान" शब्द का वही मतलब होगा जो कस्टम्स एक्ट, 1962 में दिया गया है। 1962 का 52

मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
5	35	लिए हैं	हैं
9	3	संशोधन सरकार	संशोधन करके सरकार